

04/04/24
(24/04/24)

पत्रावली वादकी पत्रावली में प्रार्थना-फा
शीघ्र सुनवाई येश होने पर तलब की
गयी। वादी अधिवक्ता / प्रार्थी ने
प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई को
प्रार्थना पत्र बाबत विडो किए जाने
के साथ में प्रस्तुत किया है। पत्रावली
का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि
पत्रावली प्रारम्भिक स्टेज/चरण में है
और प्रार्थी ने शीघ्र सुनवाई में
प्रार्थना-पत्र के चरण सं 2 में
जाहिर किया है कि प्रार्थी उक्त
उनवानी वाद को आगे नहीं चलाना
चाहते, इसलिए प्रार्थी ने पत्रावली को
नियत तारीख 03/5/2024 से पूर्व
तलब किए जाने के संबंध में
निवेदन किया है।
अतः पत्रावली के Initial Stage
में होने के कारण दूसरे पक्षकारों
को सम्मन जारी किया जाना
ज्यायालय आवश्यक नहीं समझना।

उद्वार

Deputy Judge
me. P. Dantli
H. D. Dantli
24/4/24

सदस्य पंचायत
जयपुर शहर पंचायत



फद अहकाम

पुल्लुड बनाम गुल्लुडवर्मा

नाम न्यायालय

सहायक जज क्लर
अय्यपुर शहर प्रखण्ड

केस संख्या

- 81 - 56/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>प्राची का प्रार्थना पत्र वाबत शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाता है। चूंकि शीघ्र सुनवाई प्रार्थना - पत्र के साथ प्रार्थना - पत्र वाबत विडो विद जानै के संबंध में श्री प्रार्थना-पत्र पेश हुआ है। वकील प्राची/अप्राची शीघ्र सुनवाई के बाद विडो स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया गया, इस में प्रार्थना पत्र अरबाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वकील प्राची का प्रार्थना पत्र अरबाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फिलहाल शुमार होकर वाकिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/04/24 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

सहायक जज क्लर
अय्यपुर शहर प्रखण्ड